भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या *88
उत्तर देने की तारीख 02.12.2024

थिएटर समूहों को रिपर्टरी अनुदान

*88. **श्री भर्तृहरि महताब :**

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले एक वर्ष के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को संस्वीकृत रिपर्टरी अनुदान का ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार ने पिछले एक वर्ष के दौरान थिएटर समूहों को रिपर्टरी अनुदान देने से इनकार कर दिया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) सरकार द्वारा रिपर्टरी अनुदान देने और अस्वीकार करने के मानदंडों के बारे में ब्यौरा क्या है?

उत्तर

संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री
(गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) से (ग) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

'थिएटर समूहों को रिपर्टरी अनुदान' के संबंध में दिनांक 2 दिसम्बर, 2024 को श्री भर्तृहरि महताब द्वारा पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *88 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क): संस्कृति मंत्रालय द्वारा 'गुरु-शिष्य परंपरा को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता (रेपर्टरी अनुदान)' नामक केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम संचालित की जाती है। इस स्कीम के अंतर्गत पूरे भारत से संगीत, नृत्य, रंगमंच, लोक कला आदि जैसे मंच कला संबंधी कार्यकलापों में कार्यरत और गुरु-शिष्य परंपरा की तर्ज पर नियमित आधार पर कलाकारों/शिष्यों को उनके संबंधित गुरु द्वारा प्रशिक्षण प्रदान कर रहे पात्र सांस्कृतिक संगठनों को सीधे ही वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम होने के नाते, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों हेतु वित्तीय सहायता संस्वीकृत करने का कोई प्रावधान नहीं है। इसके बजाय, मंत्रालय द्वारा पात्र संगठन को वित्तीय सहायता सीधे ही संस्वीकृत की जाती है। विगत वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान सभी श्रेणियों (रंगमंच, नृत्य, संगीत आदि) के अंतर्गत प्राप्त और अनुशंसित/गैर-अनुशंसित आवेदनों का राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुलग्नक** पर संलग्न है।

(ख) और (ग): गुरु-शिष्य परंपरा (रेपर्टरी अनुदान) के स्कीम दिशानिर्देशों के अनुसार, अनुदान की मांग करने वाले संगठनों को अनुदान जारी रखने और नए सिरे से चयन किए जाने के लिए प्रत्येक वर्ष अपने आवेदन/प्रस्ताव प्रस्तुत करना अपेक्षित होता है। संगठनों से प्राप्त सभी प्रकार से पूर्ण आवेदनों/प्रस्तावों की समीक्षा मंत्रालय द्वारा इस प्रयोजनार्थ गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा की जाती है। यह विशेषज्ञ समिति स्कीम दिशानिर्देशों के प्रावधानों, संगठनों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियों/कार्यकलापों/संसाधनों, वित्तीय सहायता हेतु औचित्य, संगठन के गुरु/प्रतिनिधि के साथ साक्षात्कार आदि पर विचार करते हुए मामला-दर-मामला आधार पर अपनी अनुशंसाएं देती है। अनुदान वर्ष 2023-24 के लिए रेपर्टरी अनुदान के अंतर्गत वित्तीय सहायता के लिए रंगमंच श्रेणी के तहत प्राप्त 1261 प्रस्तावों में से 1006 प्रस्तावों को अनुशंसित किया गया।

*****

अनुलग्नक

'थिएटर समूहों को रिपर्टरी अनुदान' के संबंध में दिनांक 2 दिसम्बर, 2024 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *88 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

गुरु-शिष्य परंपरा (रेपर्टरी अनुदान) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वित्तीय सहायता हेतु अनुशंसित/गैर-अनुशंसित संगठनों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार सूची

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्राप्त आवेदनों की कुल संख्या	अनुशंसित संगठनों की संख्या	गैर-अनुशंसित/अपूर्ण संगठनों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	37	20	17
2	अरुणाचल प्रदेश	1	1	0
3	असम	47	44	3
4	बिहार	130	116	14
5	चंडीगढ़	10	10	0
6	छत्तीसगढ़	6	5	1
7	दिल्ली	140	125	15
8	गुजरात	13	13	0
9	हरियाणा	24	20	4
10	हिमाचल प्रदेश	6	6	0
11	जम्मू और कश्मीर	52	44	8
12	झारखंड	16	14	2
13	कर्नाटक	254	215	39
14	केरल	29	27	2
15	मध्य प्रदेश	126	109	17
16	महाराष्ट्र	121	97	24
17	मणिपुर	248	202	46
18	मिजोरम	2	2	0
19	नागालैंड	7	6	1
20	ओडिशा	156	119	37
21	पुदुचेरी	4	3	1
22	पंजाब	10	10	0
23	राजस्थान	29	26	3
24	सिक्किम	1	1	0
25	तमिलनाडु	16	13	3
26	तेलंगाना	24	21	3

27	त्रिपुरा	10	9	1
28	उत्तर प्रदेश	128	95	33
29	उत्तराखंड	20	18	2
30	पश्चिम बंगाल	468	332	136
	कुल	**2135**	**1723**	**412**

****